कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक **एफ.6(9) परीक्षा क / प्राध्यापक / (स्कूल शिक्षा) / हिन्दी (छात्र) / 2015–16 / 1515 दिनांक 1.10.18** द्वारा **प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) भुगोल** वेतन लेवल 12 के पद पर संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर 02 वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)– **भूगोल** के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–1(12)डीओपी / ए–II / 2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ–12(06) एफडी (नियम) / 2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ–15 (1) / एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 9.12.17 के प्रावधानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा । राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक(क–2) / 3 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओ पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगें:–

1 अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29 / 1 / 18 एवं माननीय सम्पूर्ण आयोग की बैठक दिनांक 5 / 3 / 18 द्वारा प्रदत्त निर्णयानुसार **तलाकशुदा / विधवा महिलाओं से आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथी तक स्थिति के अनुसार संबंधित वर्ग शपथ पत्र** एवं अन्य नाम–उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।

2 सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख मे सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

3 कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस–अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट मे कोई विपरीत टिप्पणी नही होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नही करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

4 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी / ए–2 / 95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

5 जिन अभ्यिर्थीयों ने राज्य से बाहर की संस्थाओ से शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यताएं अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियो से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।

6 कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस–अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत, सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नही होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा कार्यभार ग्रहण नही करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

07 **चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट http://education.rajasthan.gov.in/ से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकृत होंगे।**

उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैप्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 9/5/17 के निर्णय एवं एस0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/17 अरविन्द कुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 2/6/17 के निर्णय के अध्यधीन रहने के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4695–4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एस0एल0पी0 संख्या 14306–14310/2017 पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2015 विषय **भूगोल** (छात्र संस्थायें) के पूर्व घोषित परिणाम दिनांक 12/6/17 के अतिक्रमण में दिनांक 25/7/18 को जारी किये गये नवीनतम परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त अभिस्तावना के अनुसार दी जा रही है । इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 16.11.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाए सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी । **यह नियुक्ति राज्य सरकार के पत्र कमांक–प.7(1) शिक्षा–2/प्राध्या/व0अ0/प्रयो.सहा/2018 जयपुर दिनांक–24.10.18 के द्वारा नियुक्ति हेतु विधान सभा आम चुनाव आदर्श आचार संहिता में शिथिलन हेतु निर्वाचन विभाग राजस्थान के पत्रांक–एफ.3(1)(9)1/Elect/2018/6965 दिनांक–08.10.2018 द्वारा गठित स्किनिंग समिति की सहमति एवं सामान्य प्रशासन विभाग की आई.डी. संख्या–3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांक–23.10.2018 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है ।**

SNO	CTG	CTG TYPE	NAME	FNAME	BIRTHDATE	ADRESS	POSTING PLACE	DISTRICT
01	STW EDV	ST FWD	INDRA	PRABHU DAYAL	4-9-86	VARD NO 14 ARTH GHADI KA MOHLLA SINDHANA, BUHANA, JHUNJHUNUN	GSSS JAMALPUR	JHUNJHUNUN

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/संस्था/सी–5/नियुक्ति–भुगोल/रिसफलपीएससी–15/2015 दिनांक :– 5-11-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/ कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर।
3 सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4 संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा /मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा।
5 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मु0)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6 कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
7 संबधित प्रधानाचार्य राउमावि को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पूर्व मे राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिक यदि निर्वाचन सम्बन्धी कार्य में लगे हैं तो उन्हें सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी की सहमति उपरांत ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावें ।
8 संबंधित आशार्थी
9 अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।/ निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर